

12. पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया *

के अनुबन्ध इसका निर्धारण करेगा और बच्चे के बहुमुखी विकास पर ध्यान देने के साथ-साथ उसे भय, चिन्ता से मुक्त करने का भी काम करेगा तथा मूल्यांकन व्यापक क क्षत होगा। संविधान में निर्दिष्ट मूल

13. परीक्षा एवं समापन प्रमाण - पत्र *

प्रारम्भिक शिक्षा पूर्व होने से पहले बोर्ड की कोई भी परीक्षा नहीं देने होगी। प्रारम्भिक शिक्षा पूर्व करने वाले प्रत्येक बच्चे को प्रमाण पत्र दिया जायेगा। किसी भी बच्चे से

14. निर्देश जारी करने की शक्ति *

केन्द्र सरकार को राज्य सरकार स्थानीय अधिकारियों को तथा स्थानीय अधिकारी स्कूल प्रबंधन समितियों को आधीनियम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मार्गदर्शन सिद्धान्त जारी कर संकेत व निर्देश दे सकेंगे। धारा 25 के अन्तर्गत

15. राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति *

आधीनियम के उपबन्धी के कार्यान्वयन के लिए नियम, आधीनियम बना सकेंगे। राज्य सरकार

16. राज्य सलाहकार परिषद का गठन →*

प्रस्ताविक राज्य सलाहकार परिषद का गठन राज्य सरकार करेगी। इसका ना अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए में राज्य सरकार की परामर्श देना होगा।

17. अभियोजना के लिए पूर्व मंजूरी →*

अधिनियम का पालन न करने पर धारा 13, 18, और 19 के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए कोई भी अभियोजन समूचित सरकार अथवा अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

18. प्राइवेट ट्रेडिंग का प्रतिबंधक →*

कोई निर्यात शिपिंग प्राइवेट ट्रेडिंग या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा। लगाएगी।

1. बालक के शिक्षा अधिकार को मॉनीटर करना → *

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों व परीक्षण और देखभाल की समीक्षा करेंगे।

2. अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण का अधिकार → *

यदि किसी स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने का प्रावधान नहीं है अथवा किसी भी कारण से कोई छात्र एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानान्तरण देने का अधिकार होगा।

अपसंहार → *

हमारे देश में एक ही तथ्य को भिन्न-भिन्न रूप में प्रस्तुत करने की कुछ परम्परा भी बन गई है। और हमारे संविधान में जागरूकता के मूल अधिकारों में एक अति शिक्षा का भी है। यह अधिकार 6-14 आयु की बच्चों को भी प्राप्त है। 2002 में संविधान 86 वें संशोधन द्वारा इसे एक मूल कर्तव्य के रूप में और दूसरी ओर मूल के रूप में प्रस्तुत किया गया और 2009 में पुनः शिक्षा के अधिकार अधिनियम के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

(Complete)